स्त्रियों के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव हटाने हेतु संविदा

संयुक्त राष्ट् के घोषणापत्र को ध्यान में रखते हुए मौलिक मानवाधिकारों, मानव मात्र की प्रतिष्ठा और महत्व तथा स्त्री–पुरूष समानता के अधिकार के प्रति दृढतापूर्वक पुनः आस्था व्यक्त करते है।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के मद्देनजर भेदभाव की आग्राह्यता के सिद्धान्त के प्रति अपनी दृढ आस्था व्यक्त करते है और घोषित करते है कि सभी मानव स्वतंत्र पैदा होते है तथा प्रतिष्ठा और अधिकार में समान है । इसलिए जैसा कि इसमें कहा गया है हर प्राणी सभी तरह के अधिकारों और स्वतंत्रता का हकदार है । उनमें लैगिंक भेदभाव सहित किसी प्रकार के भेदभाव नहीं किये जा सकते।

मानवाधिकारों पर अन्र्तराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र को स्वीकार करते हुए स्त्री–पुरूष के बीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ,नागरिक और सांस्कृतिक–सभी अधिकारों के प्रयोग में समान अधिकार को सुनिश्चित करने का दायित्व लेते हैं , स्त्री–पुरूष के अधिकारों में समानता को बढावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र् और उसके विशिष्ट अभिकरणों के तत्वाधान में निर्धारित अन्र्तराष्ट्रीय संविदाओं को स्वीकार करते है ।

स्त्री–पुरूष के बीच समानता के अधिकारों को बढावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र् और विश्ष्टि अभिकरणों द्धारा अंगीकार किए गए संकल्पों,घोषणाओं और सिफारिशों को स्वीकार करते है, यद्यपि स्त्री विरोधी सघन भेदभाव पर ये तमाम उपस्कर मौजूद हैं पर इसके बावजूद भी भेदभाव का अस्तित्व कायम है, स्वीकार करते हैं, यह प्रत्याहृान करते हैं कि स्त्री विरोधी भेदभाव मानव समानता के सिद्धान्त और मानव सम्मान के अधिकारों का उल्लघन करता है, यह भेदभाव स्त्री–पुरुष समानता के सापेक्ष स्त्रियों के लिए अपने देशों की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और साांस्कृतिक जीवन की भागीदारी में एक बडी बाधा है । इससे समचाज और परिवार की समृद्धि का विकास बाधित होता हे और अपने देश

तथा मानवता की सेवा के लिए स्त्रियों की अंतःशक्ति के पूर्ण विकास में कठिनाई पैदा होती है, यह मानते है कि गरीबी की स्थिति में महिलाओं को भोजन, स्वास्थय, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर और अन्य जरूरतों की सुलभता अत्यन्त ही न्यून होती है, यह स्वीकार करते हैं कि न्याय और समानता पर आधारित नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना स्त्री–पुरूष के बीच समानता को बढावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी, इस बात पर बल देते हैं कि प्रजाति पार्थक्य, सभी प्रकार के जातिवाद, नस्लवाद, जातीय भेदभाव, उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशवाद, आक्रमण, विदेशी आधिपत्य और प्रभुत्व तथा राष्ट्रों के आन्तरिक मामलों में दखलअदांजी का उन्मूलन स्त्री–पुरूष के अधिकारों के पूर्ण उपभोग के लिए आवश्यक है।

यह आस्था रखते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की मजबूती, अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी, सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों के भेदभाव के बगैर सभी राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग, आम रूप से पूर्णतः निरस्त्रीकरण और विशेष रूप से दृढ तथा प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत नाभिकीय निरस्त्रीकरण, न्याय के सिद्धान्त, देशों के पारस्परिक संबंधों में समानता और आपसी लाभ, असंबद्ध उपनिवेशी प्रभुता तथा विदेशी संप्रभुता के देशों में जनता के आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति सम्मान और प्रादेशिक अखंडता, सामाजिक प्रगति और विकास को बढावा देगें और इसके परिणामस्वरूप स्त्री–पुरूष के बीच पूर्ण समानता प्राप्त करने में सहयोग देगें,

इस बात से सहमत है कि देश के पूर्ण विकास, विश्व कल्याण और शान्ति के लिए सभी क्षेत्रों में पुरूष की समानता के आधार पर स्त्रियों की अधिकतम भागीदारी अपेक्षित है,

इस बात को ध्यान में रख रहे है कि परिवार–कल्याण और समाज–विकास में स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान है मगर अभी तक उनको इसका श्रेय नहीं दिया गया है । अतः मातृत्व की सामाजिक महत्ता और परिवार तथा बच्चे के विकास में माता–पिता दोनों

की भूमिकाओं और स्त्रियों की सृजनशीलता को भेदभाव का आधार नहीं मानना चाहिए । बच्चों की देखभाल और विकास में स्त्री–पुरूष तथा पूरे समाज का साझा दायित्व अपेक्षित है,

यह जानते हैं कि स्त्री–पुरूष के बीच पूर्ण समानता प्राप्त करने के लिए समाज और परिवार में स्त्री–पुरूष की पारम्परिक भूमिका में परिवर्तन अपेक्षित है, स्त्री विरोधी भेदभाव उन्मूलन' के घोषणा–पत्र में निर्धारित सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से सभी प्रकार के ऐसे भेदभावों को समाप्त करने के लिए अपेक्षित कदम उठाने की दृढ प्रतिज्ञा करते हुए,

निम्नांकित से पूरी तरह सहमत हैः

भाग–I

- अनुच्छेद.1

वर्तमान संविदा में 'स्त्री–विरोधी भेदभाव' का अर्थ लिंग के आधार पर ऐसी किसी भी तरह की भिन्नता, बहिष्कार या प्रतिबंध है जिसका परिणाम या मकसद महिलाओं के राजनैतिक, आर्थिक,सामाजिक, सांस्कृतिक,नागरिक या किसी ओर क्षेत्र में मानवधिकारों या मौलिक आजादी की मान्यता, उपभोग या प्रयोग को हानि पहुॅचाना या समाप्त करना हो। यह परिभाषा स्त्री विरोधी भेदभाव को उनके वैवाहिक स्तर से पृथक करके देखती है और इस भेदभाव को पुरूषों के साथ बराबरी के मापदंड पर तोलती है ।

- अनुच्छेद–2

राष्ट्र् सदस्य स्त्री–विरोधी सभी तरह के भेदभाव की निन्दा करते हें । इसे समाप्त करने के उद्देश्य से ये सदस्य अविलम्ब भेदभाव उन्मूलन की नीति बनाने और समुचित तरीके अपनाने हेतु प्रयास करने के लिए सहमत हैं । इसके लिए ये राष्ट्र् निम्न कार्य शुरू कर रहे हैं :

क) अभी तक जिन राष्ट्रों के राष्ट्रीय संविधान या अन्य समुचित विधानों में

स्त्री–पुरूष समानता का सिद्धांत समाविष्ट नहीं है तो उनमें शामिल करना और इस सिद्धांत के व्यावहारिक रूप को कानून और अन्य समुचित माध्यमों से सुनिश्चित करना,

ख) स्त्री–विरोधी सभी तरह के भेदभाव को समाप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार दण्ड विधान सहित समुचित विधान और अन्य दूसरे मानदंडों को अंगीकार करना,

ग) स्त्री–पुरूष समानता के आधार पर स्त्रियों के अधिकारों के लिए कानूनी सुरक्षा स्थापित करना और भेदभाव को किसी भी कार्रवाई के खिलाफ राष्ट्रीय न्यायधिकरणों और दूसरे सार्वजनिक संस्थानों के माध्यम से स्त्रियों को प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करना,

घ) स्त्री–विरोधी भेदभाव के किसी भी कार्य या व्यवहार से दूर रहना तथा यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक प्राधिकरण और संस्थान भी इस दायित्व के अनुपालन हेतु कार्य करेंगें,

च) किसी व्यक्ति, संगठन या उद्यम द्वारा किए गए स्त्री–विरोधी भेदभाव के उन्मूलन हेतु सभी प्रकार के समुचित कदम उठाना,

छ) स्त्री–विरोधी भेदभाव पैदा करने वाले मौजूदा कानून, अधिनियम, रीति–रिवाज और व्यवहारों को संशोधित या समाप्त करने के लिए विधान–व्यवस्था सहित सभी समुचित मानदंडों को अपनाना,

ज) स्त्री–विरोधी भेदभाव पैदा करने वाले सभी दंडात्मक प्रावधानों को निरस्त करना ।

- अनुच्छेद–3

राष्ट्र सदस्य स्त्री–पुरूष समानता के आधार पर सभी क्षेत्रों–विशेषतः राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक– में स्त्रियों के मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता के कार्यव्यवहार और उपभोग की गांरटी के प्रयोजन से स्त्री–विकास और प्रोन्नति को सुनिश्चित करने के लिए विधि–निर्माण सहित सभी आवश्यक कदम उठायेंगें ।

- अनुच्छेद–4

1. राष्ट्र सदस्य स्त्री–पुरूष के मध्य समानता को त्वरित करने के उददेश्य से अपनाए गए अस्थायी विशेष मानदंड संविदा में परिभाषित भेदभाव की श्रेणी में नही माने जाएंगे । लेकिन इनके परिणाम किसी भी रूप में असमानता और पृथक स्तर के पोषक नहीं होने चाहिए । समान अवसर और व्यवहार के लक्ष्यों की संप्राप्ति हो जाने पर इन मानदंडो को स्थगित कर दिया जाएगा ।

2. मातृत्व सुरक्षा के उददेश्य से प्रस्तुत संविदा में समाविष्ट मानदंडों सहित राष्ट्र सदस्यों द्धारा अपनाए गए विशेष मानदंड भेदभावकारी नहीं माने जाएगें ।

- अनुच्छेद–5

राष्ट्र सदस्य निम्नलिखित के लिए सभी समुचित मानदंण्ड अपनाएंगें ;

(क) लैगिक दृष्टि से श्रेष्ठता या हीनता अथवा पारंपरिक रूप से निर्धारित स्त्री–पुरूष की भूमिकाओं के आधार पर समाज में व्याप्त पूर्वग्रह और रूढिगत तथा दूसरी सभी परंपराओं को मिटाने के उददेश्य से स्त्री–पुरूष आचरण के सामाजिक और सांस्कृतिक तरीको में संशोधन करना ;

(ख) सामाजिक कार्य के रूप में मातृत्व और सभी मामलों में मूलतः बच्चों के हितों को समझते हुए उनके विकास और देखभाल में स्त्री–पुरूष (माता पिता) के समान दायित्व की स्वीकृति से समाविष्ट परिवार – शिक्षा को सुनिश्चत करना । साथ ही साथ यह स्वीकार करना कि हर मामले में बच्चों का हित सर्वोपरि है ।

- अनुच्छेद–6

राष्ट्र सदस्य सभी तरह के स्त्री–व्यापार और स्त्री–वेश्यावृति के शोषण को कुचलने के लिए विधि–निमार्ण सहित सभी समुचित मानदंड अपनाएगें।

भाग 2

- अनुच्छेद–7

राष्ट्र सदस्य अपने देश के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन मे स्त्री–विरोधी भेदभाव को समाप्त करने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएंगे । ये राष्ट्र खासतौर से निम्नलिखित मामलों में स्त्री–पुरूष के समान अधिकार को सुनिश्चित करेंगें–

1. सभी चुनावों और सार्वजनिक जनमंच में मतदान करना और सभी सार्वजनिक निकायों में निर्वाचन की योग्यता रखना,

2. सरकार की नीतियों के निर्माण ओर उनके कार्यान्वयन में भागीदारी तथा सभी स्तरों पर शासकीय कार्यालय में बहाली और सभी प्रकार के शासकीय कार्यो का निष्पादन,

3. देश के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन के सरोकार वाले गैर–सरकारी संगठनों ओर संस्थानों में भागीदारी ।

- अनुच्छेद–8

राष्ट्र सदस्य बिना किसी भेदभाव के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्य में पुरूष के समान स्त्री की भागीदारी और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने सरकार के प्रतिनिधित्व का अवसर सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठायेंगे ।

- अनुच्छेद–9

1– राष्ट्र सदस्य पुरूष के समान स्त्रियों को भी राष्ट्रीयता ग्रहण करने, बदलने या कायम रखने के लिए समान अधिकार की स्वीकृति प्रदान करेंगे । वे यह सुनिश्चत करेंगे कि न तो किसी विदेशी से विवाह करने पर और न ही शादी के दौरान पति द्वारा राष्ट्रीयता बदल लेने पर पत्नी की राष्ट्रीयता अपने आप बदल जाएगी, ना ही उसे राष्ट्रहीन कर दिया जाएगा अथवा पति की राष्ट्रीयता थोप दी जाएगी ।

2– राष्ट्र सदस्य स्त्रियों को अपने बच्चों की राष्ट्रीयता के मामले में पुरूष के समान अधिकार की स्वीकृति देंगे ।

भाग 3

- अनुच्छेद 10

राष्ट्र सदस्य स्त्री –विरोधी भेदभाव को समाप्त करने के लिए सभी समुचित कदम उठाएंगे ताकि शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री के लिए पुरूष के समान अवसर सुनिश्चित किये जा सके। वे इस उद्धेश्य से स्त्री पुरूष समानता के आधार पर निम्नलिखित दशाओं को विशेष रूप से सुनिश्चित करेंगे ।

क) शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रो में सभी वर्ग के शैक्षिक संस्थानों में अध्ययन और डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए स्त्रियों को पुरूषों के समान ही जीवन वृति शर्ते और व्यावसायिक मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जाएगा । यह समानता सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित पूर्व विधालय, सामान्य, तकनीकी, वृतिक और उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए भी सुनिश्चित होगी,

ख) समान पाठ्यचर्या,समान परीक्षाएं, समान योग्यता और स्तर के शिक्षक तथा समान गुणवता के विधालय परिसर और उपस्कर की सुलभता;

ग) सभी स्तरों पर स्त्री और पुरूष की भूमिकाओं की रूढिबद्ध अवधरणा का उन्मूलन और सभी प्रकार की शिक्षा में सहशिक्षा और दूसरे प्रकार की शिक्षा जो उस उद्धेश्य की संप्राप्ति में मदद देगी को बढावा देना । इसके लिए विशेष रूप से पाठयपुस्तकों और विधालयी कार्यक्रमों में संशोधन तथा अध्यापन विधियों का रूपान्तरण, ;

घ) छात्रवृतियों और अन्य दूसरे अध्ययन अनुदानों के लाभ के समान अवसर, ;

च) स्त्री–पुरुष के बीच मौजूदा शिक्षा के अंतराल को भरकर समानता के लाभ को यथासंभव समयपूर्व सम्पन्न करने के उददेश्य से प्रौढ और कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रमों सहित सतत शिक्षा के कार्यक्रमों की सुलभता और प्रवेश के लिए समान अवसर ;

छ) छात्राओं की विधालय छोडने(ड्राप आउट्स) की दरों में कमी लाना और शिक्षा पूर्ण किए बगैर स्थायी रूप से विधालय छोडने वाली लडकियों और महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित करना ;

ज) खेल–कूद और शारीरिक शिक्षा में सक्रिय भागीदारी के लिए समान अवसर,;

झ) परिवार नियोजन संबधी सूचना और सलाह सहित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को सुनिश्चित करने में मदद के लिए विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रमों की सुलभता ।

अनुच्छेद 11

1. राष्ट्र सदस्य स्त्री–पुरूष समानता के आधार पर रोजगार के क्षेत्र में स्त्री–विरोधी भेदभाव को दूर करने के लिए सभी प्रकार के अपेक्षित कदम उठाएंगे । निम्नांकित स्थितियों में स्त्रियों के समान अधिकार होगें :

क) सभी मनुष्यों के लिए काम का अहस्तांतरकरणीय अधिकार,

ख) रोजगार के मामले मे चयन के समान मानदंड सहित समान अवसर का अधिकार,

ग) स्वतंत्र रूप से वृति और रोजगार चुनने का अधिकार, समान पदोन्नति, रोजगार सुरक्षा तथा सेवा शर्तो और लाभ का अधिकार, प्रशिक्षुता, उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण और आवर्ती प्रशिक्षण सहित सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण का अधिकार,

घ) कार्य की गुणवता के मूल्यांकन में समानता के साथ–साथ समान कार्य के लिए समान लाभ और समान आचरण सहित समान पारिश्रमिक का अधिकार,

च) भुगतान अवकाश सहित विशेष मामलों–सेवानिवृति, बेरोजगारी, बीमारी,

असमर्थता, बुढापा और कार्य अक्षमता की अन्य स्थिति में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार,

छ) पुनरूत्पादन के कार्यकलापों की सुरक्षा सहित स्वास्थ्य की रक्षा और कार्य की दशाओं में सुरक्षा का अधिकार ।

2. राष्ट्र सदस्य विवाह और मातृत्व के आधर पर स्त्रियों के विरूद्ध भेदभाव को रोकने और उनके कार्य के प्रभावी अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठायेंगे :

क) गर्भावस्था या मातृत्व अवकाश के आधार पर स्त्रियों की बर्खास्त करने या दंडित करने और वैवाहिक स्थिति के आधार पर इनकी बर्खास्तगी के भेदभाव को रोकना ।

ख) पूर्व रोजगार, वरिष्ठता या सामाजिक भत्तों की हानि के बगैर वेतन या समकक्ष सामाजिक लाभों के साथ मातृत्व अवकाश की सुविधा देना,

ग) विशेषकर शिशु देखभाल सुविधाओं के नेटवर्क की स्थापना और विकास को बढावा देकर कार्य दायित्व और सार्वजनिक जीवन में माता–पिता दोनों को संयुक्त जिम्मेदारी निभाने के लिए समक्ष बनाने हेतु आवश्यक समर्थनकारी सामाजिक सेवाओं के प्रावधान को प्रोत्साहित करना,

घ) गर्भावस्था में हानिकर प्रभाव डालने वाले कार्यो से स्त्रियों को विशेष सुरक्षा का प्रावाधान करना ।

3. वैज्ञानिक और प्रौघोगिकी ज्ञान के प्रकाश में इस अनुच्छेद में आए सम्बन्धित सुरक्षात्मक विधानों की समीक्षा की जाएगी । इसके आधार पर आवश्यकतानुसार उनका संशोधन, निरसन या विस्तार किया जाएगा ।

अनुच्छेद 12

1. राष्ट्र सदस्य स्त्री–पुरूष समानता के आधार पर स्त्री–विरोधी भेदभाव को समाप्त करने के लिए परिवार नियोजन सहित स्वास्थय देखभाल सेवाओं को स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से सुलभ कराने के उद्‌देश्य से इस क्षेत्र में सभी उपयुक्त कदम उठायेंगे ।

2. राष्ट्र् सदस्य इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के होते हुए भी गर्भावस्था और स्तन्यकाल के दौरान पर्याप्त पौष्टिक भोजन के साथ–साथ आवश्यकतानुसार गर्भ, प्रसव और प्रसूति की दशाओं में निःशुल्क सेवाएं प्रदान करके स्त्रियों की उपयुक्त सेवाएं सुनिश्चित करेगें ।

अनुच्छेद 13

राष्ट्र् सदस्य स्त्री–पुरूष समानता के आधार पर आर्थिक और सामाजिक जीवन क्षेत्रों में समान अधिकार सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से इनसे सम्बन्धित स्त्री–विरोधी भेदभाव दूर करने के लिए सभी प्रकार के उपयुक्त कदम उठायेगें । इसके साथ ही विशेषकर निम्नांकित अधिकारों में भी समानता लाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जायेगें :

क) पारिवारिक लाभों का अधिकार,

ख) बैंक से कर्ज, गिरवी और दूसरे प्रकार के वित्तीय ऋणों का अधिकार,

ग) मनोरंजक कार्यकलापों, खेलकूदों और सांस्कृतिक जीवन के सभी कार्यो में भागीदारी का अधिकार ।

अनुच्छेद 14

1. राष्ट्र् सदस्य ग्रामीण स्त्रियों के अमौद्रिक क्षेत्रों के कार्यो सहित पारिवारिक जीवनयापन की आर्थिक उत्तरजीविता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं और उनके सामने आने वाली विशेष समस्याओं पर ध्यान देंगे । ग्रामीण स्त्रियों के लिए इस संविदा के प्रावधानों के अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से ये राष्ट्र् सभी उपयुक्त कदम उठायेंगें ।

2. राष्ट्र् सदस्य स्त्री–पुरूष समानता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री–विरोधी भेदभाव दूर कर समानता सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से सभी उपयुक्त कदम उठायेंगे ताकि स्त्रियॉ ग्राम–विकास में भागीदारी कर सकें और लाभ उठा सकें । इसके लिए विशेष

रूप से निम्ननांकित अधिकार सुनिश्चित किए जायेगें :

क) सभी स्तरों पर विकास योजना के विस्तार और कार्यान्वयन में भागीदारी,

ख) परिवार नियोजन सेवाओं में सूचना, मार्गदर्शन सहित पर्याप्त स्वास्थय देखभाल सुविधाओं की सुलभता,

ग) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से प्रत्यक्ष लाभ,

घ) स्त्रियों की तकनीकी योग्यता बढाने के लिए सभी सामुदायिक और विस्तार सेवाओं के लाभों के साथ–2 सभी प्रकार के प्रशिक्षण और शिक्षा–औपचारिक और अनौपचारिक दोनों–तथा कार्यात्मक साक्षरता की प्राप्ति,

च) रोजगार या स्वरोजगार के माध्यम से समान आर्थिक अवसरों को प्राप्त करने के लिए आत्म सहायता दल और सहकारिता की स्थापना ,

छ) सभी सामुदायिक कार्यकतापों में भागीदारी,

ज) कृषि ऋण, व्यापार सुविधाएं और उपयुक्त प्रौद्योगिकी की सुलभता और भूमि पुनर्वास योजनाओं सहित भूमि और कृषि सुधार में समानता का व्यवहार,

झ) विशेष रूप से आवास, साफ–सफाई, विधुतीकरण, जलपूर्ति यातायात और चार–संप्रेक्षेण में पर्याप्त जीवन दशाओं का समान उपभोग ।

भाग–4

अनुच्छेद–15

1. राष्ट्र् सदस्य कानून के सम्मुख स्त्रियों को पुरूषों के अनुरूप समानता प्रदान करेंगें ।

2. ये सदस्य दीवानी मामलों में स्त्रियों को पुरूषों के समान कानूनी अधिकार प्रदान करेंगें तथा उनके प्रयोग के लिए समान अवसर भी देगें । विशेषतः ये राष्ट्र् स्त्रियों को अनुबंध करने और जायदाद की देखभाल तथा प्रबंध करने का समान अधिकार प्रदान करेंगे । ये राष्ट्र् न्यायालयों और न्यायधिकरणों में प्रक्रिया के सभी स्तरों पर स्त्रियों के साथ

पुरूषों के समान व्यवहार करेंगे ।

3. ये राष्ट्र इस बात पर सहमत हैं कि स्त्रियों की वैधनिक क्षमता को प्रतिबंधित करने वाले सभी अनुबंध और दूसरे सभी निजी प्रपत्र कानूनी प्रभाव से निरस्त कर दिए जाएंगें ।

4. राष्ट्र सदस्य आवागमन, आवास और अधिवास के चयन की स्वतंत्रता से सम्बन्धित कानून में स्त्री–पुरूष को समान अधिकार प्रदान करेंगे ।

अनुच्छेद–16

1. राष्ट्र सदस्य विवाह और पारिवारिक संबंधों से जुडे हुए सभी मामलों में स्त्री–विरोधी भेदभाव को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे तथा स्त्री पुरूष समानता के आधार पर इसे सुनिश्चित करेंगे,

क) विवाह करने का समान अधिकार,

ख) स्वतंत्रतापूर्वक जीवन साथी का चयन तथा उसकी स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से विवाह करने का समान अधिकार,

ग) विवाह के दौरान और विवाह भंग होने पर समान अधिकार और जिम्मेदारियॉ।,

घ) बच्चों से जुडे मसलों में माता–पिता की वैवाहिक स्थिति को महत्व न देते हुए उनके समान अधिकार और उत्तरदायित्व होगें । सभी मामलों में बच्चों का हित सर्वोच्च होगा,

च) स्वतंत्रता और उत्तरदायित्वपूर्वक बच्चों की संख्या और अंतराल तय करने का समान अधिकार और ऐसी सूचना, शिक्षा तथा साधनों तक पहुंच जो उन्हें इन अधिकारों के इस्तेमाल के योग्य बना दें,

छ) संरक्षण, अभिरक्षा, न्यासिता और गोद लेना अथवा ऐसी ही किसी और व्यवस्था की अवधारणा जो राष्ट्रीय विधान में मौजूद हो, से सम्बन्धित क्षेत्रों में समान

अधिकार और उत्तरदायित्व होगें । सभी मामलों में बच्चों का हित सर्वोच्च होगा,

ज) पति–पत्नी के रूप में पारिवारिक नाम, व्यवसाय और रोजगार के चयन के साथ–2 समान वैयक्तिक अधिकार,

झ) संपति के स्वामित्व, अधिग्रहण, प्रबन्धन, प्रशासन, उपभोग और वितरण–मूल्य लेकर या बिना किसी मूल्य के–के सन्दर्भ में पति–पत्नी दोनों के समान अधिकार ।

2. बच्चे की मंगनी और शादी के लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित करने और पंजीकरण कार्यालय में अनिवार्य रूप से शादी का पंजीकरण कराने के लिए विधि–निमार्ण सहित सभी प्रकार की आवश्यक कार्यवाही अनिवार्य होगी ।

भाग–5

अनुच्छेद–17

1. प्रस्तुत संविदा के कार्यान्वयन की प्रगति पर गौर करने के उद्‌देश्य से 'स्त्री–विरोधी भेदभाव उन्मूलन समिति– (इसके बाद इसे केवल समिति कहा जाएगा) का गठन किया जाएगा । प्रारंभ में इस समिति के 18 सदस्य होगें । जब 35 वां राष्ट्र इस संविदा की पुष्टि करेगा या स्वीकृति प्रदान करेगा तो समिति की सदस्य संख्या 23 हो जायेगी । समिति के सदस्य उच्च नैतिकता वाले और संविदा में समाविष्ठ क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे । राष्ट्र सदस्य अपने नागरिकों में से इन सदस्यों का चयन करेंगे । ये सदस्य व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे । समिति के सदस्यों के चयन में समान रूप से भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा ताकि प्रमुख न्यायिक प्रणालियों सहित विभिन्न सम्यताओं की समान भागीदारी सुनिश्चित हो सके ।

2. राष्ट्र सदस्यों के मनोनीत व्यक्ति गुप्त मतदान द्धारा समिति के सदस्यों का चुनाव करेंगे प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों में से एक व्यक्ति को नामित कर सकता है ।

3. प्रस्तुत संविदा के लागू होने के छः माह बाद प्रारंभिक चुनाव होगा । प्रत्येक चुनाव के कम से कम तीन माह पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव राष्ट्र सदस्यों को पत्र

भेजकर उन्हें दो माह के भीतर सदस्य नामित करने के लिए कहेंगे । महासचिव नामित सदस्यों की सूचि वर्णानुक्रम में तैयार करेंगें । इस सूचि में सदस्य के साथ नामित करने वाले राष्ट्र का भी उल्लेख होगा यह सूचि संविदाधीन राष्ट्रों को प्रस्तुत की जाएगी ।

4. संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासचिव द्वारा आयोजित संविदाधीन राष्ट्रों की बैठक में समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा । इस बैठक का कोरम राष्ट्र सदस्यों की दो तिहाई उपस्थिति से पूरा होगा । समिति का सदस्य वही व्यक्ति चुना जाएगा जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुआ हो और राष्ट्र सदस्यों के उपस्थिति और वोट डालने वाले प्रतिनिधियों का भी पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ हो ।

5. समिति के सदस्य चार वर्षो के लिए निर्वाचित किए जाएंगे । फिर भी प्रथम चुनाव में चुने गए सदस्यों में से 9 सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगा । प्रथम चुनाव के ठीक बाद इन नौ सदस्यों के नामों का चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा ड्रा से किया जाएगा ।

6. 35 वें राष्ट्र द्वारा संविदा की पुष्टि या स्वीकृति के बाद अनुच्छेद 2,3 और 4 के प्रावधानों के अनुसार समिति के 5 अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाएगा । इस अवसर पर चुने हुए अतिरिक्त सदस्यों में से दो सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष के अन्त में समाप्त हो जाएगा । इन दो सदस्यों के नामों का चुनाव समिति के अध्यक्ष ड्रा द्वारा करेंगे।

7. आकस्मिक रूप से सदस्यता रिक्त होने पर संबंधित राष्ट्र अपने नागरिकों में से दूसरा समकक्ष विशेषज्ञ समिति के अनुमोदन से नियुक्त करेगा ।

8. महासभा से अनुमोदन लेकर, संयुक्त राष्ट्र संसाधनों से समिति के सदस्य परिलब्धियॉ प्राप्त करेंगे । समिति के दायित्वों के महत्व को ध्यान में रखते हुए महासभा सदस्यों की सेवा शर्ते और दशांए निर्धारित कर सकती है ।

9. प्रस्तुत संविदा के अन्तर्गत समिति के कार्याकलापों के प्रभावी कार्य निष्पादन के लिए स्टाफ (कर्मचारी) और सुविधाएं संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा प्रदान की जाएगी ।

अनुच्छेद–18

1. राष्ट्र सदस्य प्रस्तुत संविदा के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए पारित विधेयक, उठाए गए कानूनी, न्यायिक प्रशासनिक या अन्य कदमों और प्रगति की रिपोर्ट समिति के अवलोकनार्थ राष्ट्रसंघ माहसचिव को निम्न कालक्रम के अनुसार प्रस्तुत करेंगे :

क) राष्ट्र में संविदा के लागू होने के एक वर्ष बाद, और

ख) इसके बाद कम से कम हर चौथे वर्ष और जब कभी समिति अनुरोध करें ।

2 प्रस्तुत संविदा में अन्तर्निहित दायित्वों की पूर्ति में आने वाली कठिनाईयों के स्वरूप और कारकों का उल्लेख इन रिपोर्टो में किया जा सकता है ।

अनुच्छेद– 19

1. समिति कार्यप्रणाली के अपने नियम अपनाएगी ।

2. समिति अपने अधिकारियों का चुनाव दो वर्ष के लिए करेगी ।

अनुच्छेद– 20

1. प्रस्तुत संविदा के अनुच्छेद 18 के अनुसार प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा के लिए समिति की साल में एक बैठक होगी । सामान्यतः यह बैठक अधिक से अधिक दो सप्ताह की होगी।

2. सामान्यतः समिति की बैठकें संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर या समिति द्वारा निर्धारित किए गए किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर होगी ।

अनुच्छेद–21

1. यह समिति अपने कार्यकलापों से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट आर्थिक और सामाजिक परिषद् के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रस्तुत करेगी । इस रिपोर्ट में यह राष्ट्र सदस्यों से प्राप्त रिपोर्टो और सूचनाओं की समीक्षा करके अपने सुझाव और सिफारिशें भी भेज सकती है । अगर किसी राष्ट्र सदस्य से इस प्रकार के सुझाव और सिफारिशें प्राप्त होती हैं तो समिति अपनी रिपोर्ट में टिप्पणियों के साथ इन्हें शामिल करेगी।

2. महासचिव समिति की रिपोर्टें 'महिला अवस्थिति आयोग' को सूचनार्थ भेजेंगे।

अनुच्छेद–22

प्रस्तुत संविदा के प्रावधानों के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ अभिकरण इसके कार्यान्वयन की समीक्षा सम्बन्धी कार्य में प्रतिनिधित्व के हकदार होगें । समिति संविदा के प्रावधानों के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ अभिकरणों को कार्यान्वयन की समीक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर सकती है ।

भाग–6

अनुच्छेद–23

इस संविदा का कोई भी अंश उन प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा जो स्त्री–पुरूष समानता की प्राप्ति में अधिक सहायक है । इनमें निम्नलिखित प्रावधान हो सकते हैं :–

क) राष्ट्र सदस्य के विधान में , अथवा

ख) उस राष्ट्र में लागू कोई दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय संविदा, संधि या अनुबंध में ।

अनुच्छेद–24

प्रस्तुत संविदा में निर्धारित अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति के लिए राष्ट्र सदस्य राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के आवश्यक कदमों की शुरूआत करेंगे ।

अनुच्छेद–25

1. सभी राष्ट्रों के हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत संविदा को खुला रखा जाएगा ।
2. संयुक्त राष्ट्र महासचिव इस संविदा के अमानतदार अभिहित किए गए हैं ।
3. प्रस्तुत संविदा अनुसमर्थन के लिए खुली है । अनुसमर्थन से सम्बन्धित पत्रकों को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास जमा किया जा सकेगा ।
4. प्रस्तुत संविदा को सभी राष्ट्रों के प्रवेश के लिए खुला रखा जाएगा । संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास संविदा में प्रवेश हेतु स्वीकृति पत्र भेजने के पश्चात ही

प्रवेश प्रभावी होगा ।

अनुच्छेद–26

1. इस संविदा के संशोधन हेतु कोई भी राष्ट्र सदस्य किसी भी समय अनुरोध कर सकता है। संशोधन सम्बन्धी अधिसूचना लिखित रूप में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास भेजनी होगी ।

2. इस प्रकार के अनुरोध पर की जाने वाली कार्रवाई का निर्धारण संयुक्त राष्ट्र की महासभा में होगा ।

अनुच्छेद–27

1. संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास संविदा की पुष्टि या स्वीकृति का बीसवां प्रपत्र पहुंचने के तीस दिनों के बाद प्रस्तुत संविदा लागू होगी ।

2. प्रस्तुत संविदा की पुष्टि या स्वीकृति के लिए बीसवें प्रपत्र की प्राप्ति के बाद अगर कोई राष्ट्र उसकी पुष्टि या स्वीकृति का प्रपत्र भेजता है तो उसके प्रपत्र प्रस्तुत करने के 30 दिनों के बाद यह संविदा उस राष्ट्र में लागू होगी ।

अनुच्छेद–28

1. इस संविदा की पुष्टि या स्वीकृति के समय राष्ट्रों की अपनी शर्तो से सम्बन्धित दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास भेजा जाएगा । वे वह दस्तावेज सभी राष्ट्रों को सूचनार्थ वितरित करेंगें ।

2. यदि शर्त प्रस्तुत संविदा के उद्देश्य और प्रयोजन के अनुकूल नहीं है तो इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी ।

3. किसी भी समय संयुक्त राष्ट्र महासचिव को अधिसूचना भेजकर शर्ते वापस ली जा सकती हैं। शर्तो की वापसी के बाद महासचिव सभी राष्ट्रों को इसकी सूचना देगें। इस प्रकार की अधिसूचना उस दिन से लागू मानी जाएगी जिस दिन महासचिव को प्राप्त होगी।

अनुच्छेद–29

1. दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच प्रस्तुत संविदा की व्याख्या या प्रयोग से सम्बन्धित कोई विवाद उठता है और आपसी समझौते से उसका समाधान नहीं होता तो उनमें से किसी एक राष्ट्र के अनुरोध पर इसे मध्यस्थताकारी पंचाट के पास भेजा जा सकता है । मध्यस्थता के अनुरोध के छः माह के अन्दर अगर ये राष्ट्र मध्यस्थता पंचाट के गठन पर सहमत नहीं होते तो इनमें से कोई एक राष्ट्र न्यायालय के सैंविधानिक अनुपालना के अनुरोध के साथ इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भेज सकता है । ''

2. प्रत्येक राष्ट्र सदस्य संविदा की पुष्टि या स्वीकृति पर हस्ताक्षर करते समय घोषित कर सकता है कि वह इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 की बाधता स्वीकार नहीं करता । यदि कोई राष्ट्र सदस्य इस प्रकार की शर्त रखता है तो दूसरे राष्ट्र सदस्य उस पैराग्राफ से बाध्य नहीं होंगे ।

3. यदि कोई राष्ट्र सदस्य इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 की अनुरूपता में शर्त रखता है तो वह किसी भी समय संयुक्त राष्ट्र महासचिव को अधिसूचना भेजकर अपनी शर्त वापस ले सकता है ।

अनुच्छेद–30

प्रस्तुत संविदा के अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रैंच, रूसी और स्पेनिश पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं और संयुंक्त राष्ट्र महासचिव के पास रखें जाएंगें ।

इस संविदा के लिए पूर्णतः प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरी ने इसके साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किया है।